16 एस.सी.आर 1060

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और अन्य

बनाम

सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

और दूसरे

(सिविल अपील संख्या 4299/ 2022)

26 मई, 2022

[डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्तिगण]

कंपनी अधिनियम, 2013: धारा 212 और 219 - जांच की शक्ति - कंपनी के मामले - निगमित निकाय - उच्च न्यायालय के सामने याचिका दायर की गई, जिसमें 31 अक्टूबर 2018 और 27 अक्टूबर 2020 को संघ कंपनी मामले मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई है, जो सहारा समूह की कई कॉर्पोरेट इकाइयों के संदर्भ में धारा 212 और 219 के प्रावधानों के तहत जांच की अनुमति देते हैं।- उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश से जांच आदेशों के प्रचलन, क्रियान्वयन और कार्यान्वित करने को रोक दिया, क्योंकि 31 अक्टूबर 2018 को जांच के लिए दिए गए दिशा-निर्देश का समय धारा 212(3) के अनुसार निर्धारित समय के उपरांत था; और 27 अक्टूबर, 2020 को छह अन्य कंपनियों में जांच की अनुमति धारा 219 के विपरीत प्रतित होती है, क्योंकि छह कंपनियां न तो जांच होने वाली कंपनियों की सहायक कंपनियां थीं और न ही धारक कंपनियां थीं; और तीसरा, आदेश में उन कारणों या परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया था जिसने केंद्रीय सरकार को राय बनाने के लिए मजबूर किया- पीड़ित होकर, संघ सरकार ने तत्काल अपील दायर की। - मुद्दा सीमित है कि उच्च न्यायालय को दो आदेशों के प्रचलन को रोकने वाले अंतरिम दिशा-निर्देश पास करने में यदि उचितता थी या नहीं। - अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय को अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयास में व्यापक दिशा-निर्देश पास करने की शक्ति है। - कंपनी अधिनियम 2013 में समय की किसी विशिष्ट प्रेस्क्रिप्शन का उल्लेख नहीं है और जांच को एक निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का संदर्भ मार्गदर्शक है और अनिवार्य नहीं है- संघ सरकार के आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2020 में ऐसे तथ्यात्मक तर्क थे जो धारा 219 की अधिकार क्षेत्र

उप-अनुच्छेद (c) से संबंधित थे, जो किसी भी अन्य निगमित निकाय की कार्यवाहियों में जाँच की अनुमति देता है जिसके प्रशासन परिषद में एक कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं या जो कंपनी या इसके किसी निदेशक के दिशा-निर्देश या अनुसंधान के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति में हो। - रिकॉर्ड पर रखे गए सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि संघ सरकार ने धारा 212 और धारा 219 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का अभ्यास करने के लिए कारण नहीं दिया था- इस चरण पर, संघ सरकार केवल एक जांच आदेश दे रही थी और जब जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियों के मामले में पूरी जाँच हो, तो विस्तृत कारण दर्ज करने का बोझ रखना अयोग्य होगा। - उच्च न्यायालय को जाँच को रोकने में और आलोचित आदेशों में जो अंतरिम चरण पर पारित किए गए निर्देश देने में उचित नहीं था। - अंतरिम आदेश।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित :1.1 **संघ सरकार के 27 अक्टूबर 2020 के आदेश में तथ्यात्मक विवाद हैं जो धारा 219 की अधिकार क्षेत्र उपबंध (c) के प्रतिष्ठान को संबोधित करते हैं। धारा 219 का उपबंध (c) किसी भी अन्य निगमित निकाय निगम के मामलों में जांच की अनुमति देता है, जिसका निदेशक मंडल किसी कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलता जुलता है या आमतौर पर कंपनी या इसके किसी भी निदेशक के निर्देश या निर्देशों के अनुसार कार्य करने की आदत में है। 27 अक्टूबर 2020 के आदेश में उपर्युक्त प्रावधान का विशिष्ट प्रतिष्ठान है, जब यह कहता है: "और जहाँ SFIO ने 24 सितंबर 2020 के पत्र के माध्यम से कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 219 के तहत निम्नलिखित छह कंपनियों के मामलों में जांच की अनुमति मांगी जो जांच में रही कंपनियों की गतिविधियों में उलझी हुई थी" [अनुच्छेद 14]**

1.2 संघ सरकार ने अपने धारा 212 और धारा 219 के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कारणों का संकेत नहीं दिया है, इसका कहना संभव नहीं है। इस चरण में, संघ सरकार ने केवल जांच का आदेश दिया था और जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कंपनियों के कार्यों का पूरा जांच होता है, तो एक विस्तारित कारणों के दर्ज करने का बोझ डालना अनुचित होगा। तीसरा कारण जो भारी पड़ा उच्च न्यायालय के साथ इसलिए विशेष है । उच्च न्यायालय को जांच को रोकने और आपतकालीन चरण में जारी किए गए परिणामकारी दिशानिर्देशों को पारित करने में उचित नहीं था जो अंतर्विराम आदेशों में जारी किए गए थे।[अनुच्छेद 25,16]

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय बनाम राहुल मोदी **(2019) 5 SCC 266 : [2019] 5 SCR 91**; *नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य* **2021 SCC OnLine SC 315 - संदर्भित**

केस कानून संदर्भ

[2019] 5 एससीआर 91 पैरा 8 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4299/2022

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.12.2021 के डब्ल्यू.पी. (सिविल) नंबर 13984 में नई दिल्ली में 2022

के साथ

सिविल अपील संख्या 4300/2021

तुषार मेहता, एसजी, के.एम. नटराज, एएसजी, कनु अग्रवाल, राजन कुमार चौरसिया, अरविन्द कुमार शर्मा, विशाल श्रीवास्तव, अधिवक्ता।-----अपीलकर्ताओं के लिए ।

कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौतम अवस्थी, आयुष चौधरी, निज़ाम पाशा, देवांशु यादव, समीर पांडे, सिमरनजीत सिंह, गौतम तालुकदार, राहुल त्रिपाठी, राम सजन यादव, विजय कुमार, अधिवक्ता। ---
प्रतिवादी के लिए ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़ ,न्यामूर्ति

.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपील उन आदेशों से उत्पन्न होती हैं जिनकी तारीखें 13 दिसंबर 2021 और 5 जनवरी 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के विभागीय बेंच के द्वारा दी गई थीं।

उच्च न्यायालय के पास साहारा समूह के कई कॉर्पोरेट एंटिटीज के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिकाओं का एक समूह है, जिसमें संघ कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के 31 अक्टूबर 2018 और 27 अक्टूबर 2020 के आदेशों की कानूनजतता पर आपत्ति कर रही है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 212 और धारा 219 के प्रावधानों के तहत एक जांच की अधिकृतता देने के लिए जारी किए गए थे। उच्च न्यायालय ने उन आदेशों के अनुसरण में शुरू की गई सभी आगामी क्रियावलियों और प्रक्रियाओं को भी स्थगित कर दिया है "सहित मजबूरी की प्रक्रियाओं और देख-भाल सूचनाओं" याचिकाकर्ताओं और उनके निदेशकों, प्रोत्साहकों, अधिकारियों, कर्मचारियों या उनसे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में।

3. 31 अक्टूबर 2018 को, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 212(1) के उपबंधों (a) और (c) के अधीन, भारतीय कंपनी नियम 2013 के धारा 208 के तहत मुंबई के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2018 को जमा की गई एक रिपोर्ट के आधार पर, यह मत दिया कि निम्नलिखित कंपनियों के कार्यों की जांच की आवश्यकता थी:

    (i) सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड;
    (ii) सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड; और
    (iii) सहारा हाउजिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

4. 10 जनवरी 2019 को, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय के निदेशक को एक संवाद भेजा, जिसमें जांच के समापन के लिए समय बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी गई। 27 अक्टूबर 2020 को, SFIO ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को अनुच्छेद 219 के तहत छः अन्य कंपनियों के कार्यों की जांच की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक संवाद भेजा, जिनमें निम्नलिखित छः कंपनियों के कार्यों की जांच की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया था:

    (i) आंबे वैली लिमिटेड;
    (ii) क्विंग आंबे सिटी डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड;
    (iii) सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड;
    (iv) सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड;
    (v) सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड; और
    (vi) सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनौती पेश की गई है 31 अक्टूबर 2018 और 27 के उपरोक्त आदेशों की वैधता पर सवाल उठाएं है।

6. उच्च न्यायालय के विभागीय बेंच ने उपरोक्त आदेशों के प्रचालन और उनके परिणामस्वरूप चरणों को रोकने के बावजूद उनके द्वारा जांच को प्राथमिक रूप से रोकने के निर्णय पर पहुँचने के लिए तीन कारणों को दर्ज किया है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 212(3) के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि एक कंपनी के कार्यों की जांच का आदेश एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाए, और वर्तमान में, 31 अक्टूबर 2018 को जारी आदेश में निर्दिष्ट की गई तीन महीने की अवधि समाप्त हो गई थी;

(ii) 27 अक्टूबर, 2020 की आदेश जिसमें छः अन्य कंपनियों के कार्यों की जांच की अनुमति दी गई है, प्राथमिक रूप से धारा 219 के प्रावधानों के खिलाफ लगता है क्योंकि इन छः कंपनियों को न तो पहले की तीन कंपनियों की सहायक कंपनियों के रूप में गिना जा सकता है और न ही उन्हें जांच के अधीन रखा गया है, जिनके प्रबंध निदेशक ने पहले की तीन कंपनियों के अधिनियम के तहत प्रबंध किया है; और

(iii) 31 अक्टूबर 2018 और 27 अक्टूबर 2020 के आदेश वह कारण या परिस्थितियों की व्यापक नहीं देते हैं जिनके द्वारा केंद्र सरकार को जांच की आदेश देने की आवश्यकता थी।

7. संघ सरकार अपील में है।

8. मिस्टर तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के बेचैन चरण में जांच को रोकने में जो तीन कारण थे, वे संघ कानून की स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत हैं या, यदि आवश्यक हो, उन तथ्यों के विपरीत हैं जिनके आधार पर 31 अक्टूबर 2018 और 27 अक्टूबर 2020 के आदेश जारी किए गए थे। इस संदर्भ में यह दावा किया गया है कि:

(i) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 212(3) को इस न्यायालय के एक फैसले में स्पष्ट रूप से मार्गनिर्देशक (directory) स्वरूप में माना गया है, जो है *"सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस बनाम राहुल मोदी2"* के एक फैसले मे

(ii) 27 अक्टूबर 2020 के आदेश में जांच को रोकने के दौरान, उच्च न्यायालय के विभागीय बेंच ने नोट किया है कि छः कंपनियां पहले के 31 अक्टूबर 2018 के आदेश के अधीन आने वाली तीन कंपनियों की सहायक कंपनियां न हैं और न ही उनका प्रबंध एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा किया गया था। इस निष्कर्षण पर पहुँचने के लिए, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 219 के उपबंध (a) और (b) के प्रावधानों का पालन किया है, जो किसी विशेष रूप से 27 अक्टूबर 2020 के आदेश में आवंटित किए गए हैं, इसे नजरअंदाज करते हुए। और

(iii) संघ सरकार ने जब भी दोनों आदेश जारी किए, वह अपने प्राधिकृति के अंतर्गत काम कर रही थी और यह धारा का दुरुपयोग होगा कि एक जांच को आदेश देते समय विस्तार से कारणों की स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। उसके बजाय, इसका दावा किया गया कि जांच का उद्देश्य है कि कंपनी के कार्यों की जांच की जाए और जांच के प्रक्रिया के दौरान ही सारे साक्षय प्रकट होंगे।

9. उपरोक्त तर्कों का उत्तर देते हुए, मिस्टर कपिल सिब्बल, वरिष्ठ प्राधिकृतिक सलाहकार ने खुलकर स्वीकार किया है कि अनुच्छेद 212(3) को इस न्यायालय के फैसले में ***SFIO बनाम राहुल मोदी*** (अपरोक्त) में निर्देशक माना गया है। हालांकि, इसके बावजूद, उन्होंने यह दावा किया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित प्रतियोगिता जाने वाली रिट याचिका के सुनवाई के समय कई मौलिक मुद्दे उत्पन्न होंगे। मिस्टर सिब्बल ने यह दबाव डाला है कि या उच्च न्यायालय से रिट याचिका की शीघ्रता से सुनवाई होने के लिए निर्देशित किया जा सकता है या ये याचिका इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए हस्तांतरित किए जा सकते हैं। जिन मुद्दों को वरिष्ठ प्राधिकृतिक सलाहकारों ने उजागर किया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2012 में इस न्यायालय द्वारा दिये गए एक फैसले के परिणामस्वरूप SEBI के साथ 24,000 करोड़ रुपये की रकम जमा कर दी है।

(ii) धारा 212 और धारा 219 के प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल हैं, जबकि वर्तमान मामलों में लेन-देन 2010-2011 की अवधि से संबंधित हैं और ऐसे लेन-देन को इस अधिनियम के प्रायोगिकता का विचार करने के योग्य हो सकता है।

(iii) हालांकि समय-समय पर विस्तार आदेश पास किए गए थे, यह प्रतित होता है कि केंद्र सरकार ने केवल सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के मामले में ही विस्तार प्रदान किया था;; और।

(iv) धारा 219(c) के अर्थ में बिल्कुल भी सामग्री नहीं है जो सूचित करे कि उन निकायों के खिलाफ जिस पर 27 अक्टूबर 2020 को जांच का आदेश दिया गया है, उनमें एक बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स है जो कंपनी के प्रतिनिधियों से चुने गए हैं या जो धारा 219(c) के अर्थ में कंपनी या इसके किसी भी निदेशक के दिशा-निर्देशों या निर्देशों के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति में है।

10. हमने प्रतियोगी पक्षों के पक्ष में उठाए गए मुद्दों की मुख्य रेखा को प्रस्तुत किया है, हालांकि हम पहले से ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह उचित नहीं है कि इस न्यायालय को परिणाम स्वरूप के निर्णय पर जाने के लिए आपत्ति करें क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष दर्ज की गई रिट याचिका के मेरिट्स पर अंतिम न्याय देना उचित नहीं है, क्योंकि वे अब तक विचार के लिए प्रलंबित हैं।

11. वर्तमान चरण में इस न्यायालय के समक्ष संकीर्ण प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा दो आदेशों के प्राथमिक दिशा निर्देश देने में जायज़ था जो 31 अक्टूबर 2018 और 27 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए थे और खासकर देखभाल जैसे प्रलंबिक चरण में ऐसे अत्यधिकारी निर्देश जारी करने का योग्य था। उच्च न्यायालय के पास अपने असाधारण अधिकार के प्रयास के रूप में व्यापक निर्देश जारी करने का शक्ति है। सवाल यह है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने खासकर प्रलंबिक चरण में इस प्रकार के अत्यधिकारी निर्देश जारी करने में जायज़ था क्या, खासकर क्या वहाँ के मामले में उच्च न्यायालय ने ऐसे अत्यधिकारी निर्देश जारी करने में जायज़ था, विशेष रूप से प्रलंबिक चरण में।

12. उच्च न्यायालय को संघ कानून के धारा 212(3) के निर्माण के संदर्भ में जिस पहला कारण ने प्रभावित किया है, वह स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है, जैसा कि इस न्यायालय के द्वारा ***SFIO बनाम राहुल मोदी*** (अपरोक्त) द्वारा बताया गया है। धारा 212(3) के प्रावधानों को विस्तार से समझाते हुए, इस न्यायालय ने इस निर्धारण किया है कि कानून में कोई विशेष समय का निर्धारण नहीं किया गया है और जांच को एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत पूरा करने का संदर्भ निर्देशक (directory) और अनिवार्य (mandatory) नहीं है। निर्णय के पैराग्राफ 31 और 34 नीचे संदर्भ के लिए उद्धृत हैं:

> "31. 2013 कानून की धारा 212(3) खुद में कोई निर्धारित अवधि नहीं निर्धारित करती है जिसके अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की कोई निर्धारण नहीं है। जो कुछ भी उप-धारा (12) है, जो "जांच

रिपोर्ट" के बारे में है, फिर से किसी भी अवधि का कोई निर्धारण नहीं है। वास्तव में उप-धारा (12) के तहत इस तरह की रिपोर्ट "जांच के पूरा होने पर" प्रस्तुत की जानी चाहिए।"

किसी भी निर्धारित अवधि के पूरा होने के लिए कोई निर्धारण नहीं है जो सामान्य कानून के तहत सामान्य सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। उदाहरण के लिए, ऐसा कोई निर्धारित अवधि नहीं है जिसमें जिम्मेदारी समापन होनी चाहिए जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जांच पूरी होनी चाहिए। यदि जांच अधिक समय तक चलती है, तो कानूनी प्रक्रिया संहिता के अनुसार धारा 167 के तहत कुछ अधिकार आरोपित व्यक्ति के पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल यह विचार नहीं है कि यदि जांच कोई निर्धारित अवधि के अंदर पूरी नहीं होती है, तो जांच करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

"34. यह ठीक तरह से स्थापित है कि जब किसी विशेष प्रक्रिया को निर्धारित करते समय किसी प्रकार के नकारात्मक या विपरीत परिणाम को अनुमानित नहीं किया जाता है, तो जांच करने के लिए संबंधित प्रावधान को सामान्यत: अनिवार्य नहीं माना जाता है और यह केवल दिशा निर्देशक माना जाता है। इसके अलावा, यह प्रावधान संविधान में जिस संदर्भ में है उसे देखा जाना चाहिए। इस मामले में तीन मौलिक विशेषताएँ हैं जो मौजूद हैं:

1. 2013 कानून की धारा 212(2) के तर्क में जाँच का पूरी तरह से स्थायी स्थानांतरण, SFIO के पक्ष में होता है और ऐसे स्थायी स्थानांतरण के बाद सभी अन्य जाँच एजेंसी को हर प्रकार के दस्तावेज और रिकॉर्ड SFIO को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है।
2. जांच को पूरा करने के लिए, धारा 212 की उप-धारा (12) में किसी भी अवधि की योजना नहीं है।
3. धारा 212 की उप-धारा (11) के तहत, जब भी निर्देशित हो, अंतरिम रिपोर्टें हो सकती हैं।।

इन तीन प्रमुख विशेषताओं के सामने, यह कहा नहीं जा सकता कि उप-धारा (3) के अंतर्गत SFIO द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसी निर्धारित अवधि का उपान्त होने के लिए है और उस अवधि के समापन पर SFIO के पक्ष में अधिकार समाप्त होना चाहिए। यदि यह समाप्त होना चाहिए था, तो संविधानिक प्रावधानों की पुनर्निर्देशन जैसे-जैसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था, जिसमें उप-धारा (2) के अंतर्गत पूरे रिकॉर्ड को स्थानांतरित करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया था। किसी स्पष्ट निर्धारण की अभाव में, हमारे विचार में, एक विवरण कि समय समापन होने के साथ ही SFIO के पक्ष में अधिकार समाप्त होना चाहिए, इसका अर्थ है कि संविधान की योजना को बहुत ही अत्यंतता करेगा। यदि ऐसा व्याप्त होता है, तो उप-धारा (2) के अंतर्गत जांच के स्थायी स्थानांतरण के साथ ही मूल जांच एजेंसियों को जांच करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है और SFIO के पक्ष में अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिससे एक अयोग्य स्थिति का परिणाम होगा कि गंभीर धोखाधड़ी की जांच जांच से बाहर रहेगी। यह विचार कभी नहीं हो सकता था इसलिए, केवल वही निर्माण संभव है कि धारा 212 की उप-धारा (3) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि केवल निर्देशक (directory) है। इस तरह की निर्धारित अवधि के समापन के बाद भी, SFIO के पक्ष में अधिकार और धारा 212 की उप-धारा (1) के तहत जांच का कार्य नहीं समाप्त होगा। केवल तात्कालिक समापन जिसकी योजना धारा 212 की उप-धारा (12) के तहत एक अंतिम रिपोर्ट या "जांच रिपोर्ट" प्रस्तुत की जाती है, के बाद होता है। इसलिए, इस तरह कहा नहीं जा सकता कि इस त्वरित मामले में मंडेट 19-9-2018 को समाप्त हो गया था और 10-12-2018 को SFIO के निदेशक द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत किए गए गिरफ्तारी किसी भी तरह के गैरकानूनी या अनधिकृत नहीं थे। उपस्थित मामले में केंद्र सरकार द्वारा 14-12-2018 को विस्तार पूरी तरह से संबंधित है। लेकिन वह बिल्कुल बिना साहित्य है क्योंकि मूल गिरफ्तारी खुद में किसी भी तरह के गैरकानूनी नहीं थी। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने उस परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह गलती की है और उसे अपील के तहत जाने का आदेश देने में गलती की है।"

13. जिस दूसरी वजह के साथ जिसने प्राथमिक रूप से उच्च न्यायालय को जोर दिया था, वह थी कि 27 अक्टूबर 2020 को जांच के आदेश के अनुसार जांच होने वाली छह कंपनियां उन तीन कंपनियों की सहमति नहीं हैं जिन्होंने 31 अक्टूबर 2018 को जांच के आदेश के अंतर्गत आदेश दिए थे, और न ही वहाँ संचालक निदेशकों की सामान्यता है। यह टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से धारा 219 के अनुच्छेद (a) और (b) के संदर्भ में की गई हैं। धारा 219 निम्नलिखित रूप से पढ़ी जाती है:

> **इंस्पेक्टर को संबंधित कंपनियों आदि के कार्यकलापों में जांच करने की शक्ति.**–अगर एक इंस्पेक्टर जो सेक्शन 210 या सेक्शन 212 या सेक्शन 213 के तहत नियुक्त किया गया है ताकि वह कंपनी के मामले की जांच कर सके, तो यदि उसे जांच के उद्देश्यों के लिए आवश्यक माना जाता है कि वह भी देखता है–
>
> (a) किसी अन्य निकट संबंधित सम्पूर्ण धारा कंपनी की तरह है, या किसी समय किसी भी महत्वपूर्ण समय कंपनी की सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी है, या अपने होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी है;
>
> (b) किसी अन्य निकट संबंधित सम्पूर्ण धारा कंपनी के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित की जाती है, जो किसी भी समय किसी भी महत्वपूर्ण समय कंपनी के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के रूप में है, या जो समय पर कंपनी के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक थे;
>
> (C) किसी भी अन्य सम्पूर्ण धारा कंपनी के निदेशक मंडली जिसमें कंपनी के प्रतिनिधि नामांकन करने वाले होते हैं या कंपनी या उसके किसी निदेशक के मार्गदर्शन या निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के आदिकृत होता है; या
>
> (d) किसी व्यक्ति को जो कंपनी के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या कर्मचारी है या किसी महत्वपूर्ण समय पर रहा है,
>
> वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन, जांच करेगा और दूसरे सम्पूर्ण धारा कंपनी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के मामले की जांच और रिपोर्ट करेगा, जब तक वह समझता है कि उसकी

जांच के परिणाम कंपनी के मामलों की जांच के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है।

14. केंद्र सरकार के 27 अक्टूबर 2020 के आदेश में तथ्यवाद हैं जो सेक्शन 219 की अधिकारक धारा (सी) के प्रमुखन के संदर्भ में हैं। सेक्शन 219 की अधिकारक धारा (c) के तहत किसी भी अन्य सम्पूर्ण धारा कंपनी के निदेशक मंडली में कंपनी के प्रतिनिधि नामांकन करने वाले होते हैं या वह कंपनी या उसके किसी निदेशक के निर्देशों या निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के आदिकृत होता है। 27 अक्टूबर 2020 के आदेश में इस धारा के उपर्युक्त प्रावधान का विशेष स्थान है, जब यह इस तरह रिपोर्ट करता है:

> "और जबकि SFIO ने 24 सितंबर 2020 को दिनांक के पत्र के माध्यम से धारा 219 के तहत कंपनियों के कामकाज में प्रवेश करने की अनुमति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित छह कंपनियों के मामलों की जांच के लिए अनुमति के लिए प्राधिकृत की:
>
> [...]
>
> इसलिए, अब, कंपनी अधिनियम की धारा 219 के साथ साधारण धारा 212 (1) (सी) के तहत प्राधिकृतियों का अभ्यास करते हुए, केंद्र सरकार ने यह मत दिया है कि उपरोक्त संदर्भित कंपनियों / प्राधिकृतियों के कामकाजों की जांच की आवश्यकता है।"

इसलिए, उच्च न्यायालय का उस आधार पर जिस पर जांच को अंतरिम चरण में रोकने का आदेश दिया गया था, वह न्यायालय के द्वारा ऐसा करना उचित नहीं था।" ।

15 .इस न्यायालय ने ***नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य*** [3] में उच्च न्यायालयों को चेताया कि वे सावधानी से सामान्य अंतरिम आदेश न देने की दिशा में विचार करें, जिसमें जांच संबंधी अधिकारियों द्वारा कोई भी जबरदस्त कदम न उठाने के दिशा में आदेश हो, क्योंकि यह जांच को पहले ही चरण में प्रभावित कर सकता है। उस जांच में प्रस्तुत की गई जानकारी का ध्यान देते हुए, नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार ने धारा 212 और धारा 219 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए कारण नहीं दिखाया था। इस चरण में, केंद्र सरकार ने केवल

जांच का आदेश दिया था और जब जांच का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करने का होता है कि कंपनियों के कामकाज की पूर्ण जांच की जाती है, तो एक विस्तारपूर्ण कारणों को दर्ज करने का बोझ रखना अनुचित होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए तीसरे कारण का तात्कालिक रूप से कोई मूल नहीं है।

16. उपर्युक्त कारणों के लिए, हम इस नजरिए में हैं कि उच्च न्यायालय को जाँच कोरोकने और आलोच्य आदेशों में पास किए गए परिणामी दिशा-निर्देश पास करने में सही नहीं था, जो अंतराली चरण में किया गया था।

17.. हम इसके परिणामस्वरूप अपील को मंजूरी देते हैं और उच्च न्यायालय के 13 संबर 2021 और 5 जनवरी 2022 के विवादित आदेशों को रद्द करते हैं।

18. हालांकि, क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ लंबित हैं, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रस्तावना में दी गई वजहें केवल इस मुद्दे पर सीमित हैं कि क्या एक अंतरिम आदेश की जरूरत थी और इससे उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लंबित रिट याचिका के मेरिट्स पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

19. हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वे लिखित याचिकाओं को शीघ्र रूप से निपटाने के लिए उठाए और आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश के समापन पर उच्च न्यायालय के पुनः खुलने के बाद प्राथमिकता से दो महीने की अवधि में निपटान की प्रयास करें।

20. प्रक्रियाधीन आवेदन, यदि कोई हो, निपटाए जाते हैं।

देविका गुजराल और अमरेन्द्र कुमार की अपील स्वीकृत की जाती है।
(पूजा मिश्रा, एलसीआरए द्वारा सहायता की गई)

रीना पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा अनुवादित